

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

ई फा.सं. 4/3/2023-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग


27 मार्च, 2024

नई दिल्ली, -----

7 चैत्र, 1946 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री निधु सक्सेना के बैंक आफ महाराष्ट्र में एमडी एंड सीईओ के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक का पद त्याग करने की तारीख को या उसके पश्चात श्री निधु सक्सेना के स्थान पर पंजाब एंड सिंध बैंक के महाप्रबंधक श्री पंकज द्विवेदी (जन्म तिथि: 2.6.1970) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।